रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17092025-266213
CG-DL-E-17092025-266213

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4089] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 17, 2025/भाद्र 26, 1947
No. 4089] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 17, 2025/BHADRA 26, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

सं. 14/2025-केंद्रीय कर

का.आ. 4204(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 54 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, पंजीकृत व्यक्तियों की निम्नलिखित श्रेणी को अधिसूचित करती है, जिन्हें उक्त अधिनियम के अधीन अनंतिम आधार पर प्रतिदाय की अनुमति नहीं दी जाएगी, अर्थात्:–

(क) कोई भी व्यक्ति, जिसने केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 10ख के अधीन आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया है;

(ख) कोई भी व्यक्ति, जो नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट अध्याय या शीर्षक या उप-शीर्षक या टैरिफ मद के अंतर्गत आने वाली, स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट विवरण वाली वस्तुओं की आपूर्ति में लगा हुआ है:

सारणी

क्र. सं.	अध्याय/ शीर्षक/ उप-शीर्ष / टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	0802 80	सुपारी
2.	2106 90 20	पान मसाला
3.	24	तंबाकू और निर्मित तंबाकू के विकल्प
4.	3301	आवश्यक तेल

स्पष्टीकरण.-

(i) इस अधिसूचना में, "टैरिफ मद", "उप-शीर्ष", "शीर्ष", और "अध्याय" से, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट क्रमश: कोई टैरिफ मद, शीर्ष, उप-शीर्ष और अध्याय अभिप्रेत है;

(ii) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची, जिसमें भाग और अध्याय टिप्पण और प्रथम अनुसूची के साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण सम्मिलित हैं, के निर्वचन के लिए नियम, यथासंभव, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे।

2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. CBIC-20001/2/2025-GST]

रौशन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

No. 14/2025 – Central Tax

S.O. 4204(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 54 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government on the recommendations of the Council, hereby notifies the following category of registered persons who shall not be allowed refund on provisional basis under the said Act, namely : –

(a) Any person, who has not undergone Aadhaar authentication under rule 10B of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017;

(b) Any person, who is engaged in the supply of the goods bearing description specified in column (3), falling under Chapter or heading or sub-heading or tariff item specified in column (2), of the Table below:

Table

S. No.	Chapter/ Heading/ Sub-heading/ Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
1.	0802 80	Areca nuts

2.	2106 90 20	Pan masala
3.	24	Tobacco and manufactured tobacco substitutes
4.	3301	Essential oils

Explanation. –

(i) In this notification, “tariff item”, “heading”, “sub-heading” and “Chapter” shall mean respectively a tariff item, heading, sub-heading, and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);

(ii) The rules for the interpretation of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of October, 2025.

[F. No. CBIC-20001/2/2025-GST]

RAUSHAN KUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

सं. 15/2025–केंद्रीय कर

का.आ. 4205(अ).— आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 44 की उप-धारा (1) के पहले परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, वित्तीय वर्ष 2024-25 से आगे, वार्षिक विवरणी फाइल करने के संबंध में, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को , जिसका किसी वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त दो करोड़ रुपए तक का है, उक्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी फाइल करने से छूट प्रदान करता है।

[फा. सं. CBIC-20001/2/2025-GST]

रौशन कुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

No. 15/2025 – Central Tax

S.O. 4205(E).— In exercise of the powers conferred by the first proviso to sub-section (1) of section 44 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Commissioner, on the recommendations of the Council, in respect of filing of annual return for the financial year 2024-25 onwards, hereby exempts the registered person whose aggregate turnover in any financial year is up to two crore rupees, from filing annual return that said financial year.

[F. No. CBIC-20001/2/2025-GST]

RAUSHAN KUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

सं. 16/2025--केंद्रीय कर

का.आ. 4206(अ).— केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2025 (2025 का 7) की धारा 1 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा 1 अक्टूबर, 2025 को ऐसी तिथि के रूप में जिसको उक्त अधिनियम की धारा 121 के खंड (ii) और (iii), धारा 122 से धारा 124 और धारा 126 से धारा 134 के उपबंध प्रवृत्त होंगे, नियत करती है।

[फा. सं. CBIC-20001/2/2025-GST]

रौशन कुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

No. 16/2025–Central Tax

S.O. 4206(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 1 of the Finance Act, 2025 (7 of 2025), the Central Government hereby appoints the 1st day of October, 2025, as the date on which the provisions of clauses (ii) and (iii) of section121, sections 122 to 124 and sections 126 to 134 of the said Act, shall come into force.

[F. No. CBIC-20001/2/2025-GST]

RAUSHAN KUMAR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA